



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062022-236438
CG-DL-E-09062022-236438

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2513]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2022/ज्येष्ठ 19, 1944

No. 2513]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2022/JYAISHTHA 19, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2022

का.आ. 2640(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा त्रिपुरा राज्य के ढलाई जिले में NH-208 के कि.मी. 21.100 से कि.मी.127.319 (कैलाशहर से तेलियामुरा वाया खोवाई) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 26 अप्रैल, 2022 को "दैनिक संवाद" और "स्यंदन पत्रिका" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

त्रिपुरा राज्य के ढलाई जिले में NH-208 के कि.मी. 21.100 से कि.मी.127.319 (कैलाशहर से तेलियामुरा वाया खोवाई) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: त्रिपुरा		जिले का नाम: ढलाई			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मणिकभण्डर				
	गांव का नाम: श्रीरामपुर				
1	905/2120/p	निजी(रायती)	बेयान्(टिला)	0.0161878	क्रिष्णा मोहान् गाष् पुत्र लेय्ट हीरालाल गाष् (905/2120/पी)
			कुल	0.0161878	

[फा. सं. NHIDCL/TRIPURA/NH-208/LAQ/2017-18/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2022

S.O. 2640(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-208 on the stretch of land from Km 21.100 to Km 127.319 (Kailashahar to Teliamura via Khowai) in the district of Dhalai in the state of TRIPURA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Sambad” and “Syndan Patrika” both dated 26.04.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 21.100 to Km 127.319 of NH-208 (Kailashahar to Teliamura via Khowai) in the district of Dhalai in the state of TRIPURA

State: TRIPURA		District: Dhalai			
Sr. NO.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Manikbhandar				
	Village: Srirampur				
1	905/2120/p	Private(Rayati)	Bagan(Tilla)	0.0161878	Krishna Mohan Ghosh S/o Late Hiralal Ghosh 905/2120/p
			TOTAL	0.0161878	

[F. No. NHIDCL/TRIPURA/NH-208/LAQ/2017-18/3D]

RAJESH GUPTA, Director